<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर</u>

उ०प्र० सरकार **बनाम** अमित कुमार

सीएनआर नं0- यूपीएएन 040297382025

<u>आदेश</u>

<u>दिनांकः-</u> 15.10.2025

अभियुक्त अमित कुमार द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त मु०अ०सं०-488/2024 अन्तर्गत धारा-281, 106 व 125 बी०एन०एस०, थाना-जलालपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर के प्रकरण में आरोपित है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य** में पारित निर्णय के अनुक्रम में जमानत प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित होने तक वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

विद्वान सहायक अभियोजन अभियोजन अधिकारी द्वारा कारित अपराध जमानतीय होने का कथन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में अभियुक्त पर अपराध कारित करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। प्रकरण के संबंध में आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्त द्वारा मु० 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः-

1. वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

2. वह किसी भी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा।

3. वह न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जायेगा।

4. वह साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

दिनांकः-15.10.2025

(डॉ० धर्मेन्द्र कुमार यादव)
प्रभारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।